न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 134/2022

1. नवजोतकौर पत्नी तरसेमसिंह जाति बाजीगर निवासी चक 1 एचडब्ल्यूएम तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।
2. गुरपालसिंह आयु 8 वर्ष पुत्र तरसेमसिंह जरिये कुदरतनवाली माता नवजोतकौर।
3. हरमनदीप कौर आयु 5 वर्ष पुत्र तरसेमसिंह जरिये कुदरतनवाली माता नवजोतकौर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. तरसेमसिंह पुत्र मघरसिंह जाति बाजीगर निवासी चक 1 एचडब्ल्युएम तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।
2. सुखदेवसिंह पुत्र मिठुसिंह जाति रामदासिया निवासी चक 29 केजेडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।
3. उपपंजीयक खाजूवाला
4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: आदेश :– **दिनांक 16.12.2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीया के पति के नाम से चक 1 एचडब्ल्युएम का मु0नं0 5/23 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 ता 25 में कुल 2.0740 है0 कमाण्ड भूमि खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें लम्बे समय से प्रार्थीया काबिज काश्त है। उपरोक्त भूमि ही प्रार्थीया व उसके मासुम बच्चों के भरणपोषण व लालन पालन करने का एकमात्र जरिया है। उक्त भूमि खरीद से पहले प्रार्थीया के ससुर मघरसिंह पुत्र गुरदयालसिंह के नाम से पुश्तैनी भूमि राजस्व तहसील हनुमानगढ़ के चक 10 एसएसडब्ल्यु ए गुरूसर में 7.00 बीघा खातेदारी कृषि भूमि थी। जिसको प्रार्थीया के ससुर ने आज से 10 वर्ष पूर्व बेचकर उक्त रूपयों से चक 1 एचडब्ल्युएम में मु0नं0 5/23 की उक्त भूमि को अपने बेटे तरसेमसिंह के नाम बैयनामा तस्दीक करवाया था। तब से प्रार्थीया उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया का पति अप्रार्थी सं0 1 तरसेमसिंह शराब का आदि है। अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन वादिया व उसके पुत्र के साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट करता रहता है तथा लड़ाई झगड़ा करके कई दिनो तक घर से बाहर रहता है। प्रार्थीया ही उक्त भूमि में खेती कार्य कर अपने परिवार व बच्चों का लालन–पालन करती है व अपना पेट पालती है। अप्रार्थी सं0 1 जब घर से बाहर रहता है तब कुछ दलाल टाईप के लोग अप्रार्थी सं0 1 के पीछे लग जाते है तथा उन दलालों की निगाहे हमेशा अप्रार्थी सं0 1 की उपरोक्त भूमि को हड़पने के प्रयास में रहते है। दिनांक 21.9.22 को अप्रार्थी सं0 1 व 4–5 लोग साथ आये और अप्रार्थी सं0 1 ने कहा मैने उक्त जमीन का सौदा कर लिया है तुम खेत व ढाणी खाली कर दो अन्यथा हम तुम्हे जबरन खेत से बेदखल कर देंगें। अगर अप्रार्थी सं0 1 इसमें कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता है। जिसे रोकने का एकमात्र उपाय अस्थाई निषेधाज्ञा है जो अति आवश्यक है। दिनांक 21.9.22 की घटना के बाद प्रार्थीया अपने ससुर के साथ तहसील मुख्यालय में आई और पटवारी से सम्पर्क किया तब हल्का पटवारी ने प्रार्थीया को बताया की अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त भूमि का बैयनामा तस्दीक करवा दिया है जिसका नामान्तरण प्रक्रियाधीन है। प्रार्थनापत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ता फैसला दावा प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त की पुश्तैनी भूमि चक 1 एचडब्ल्युएम का मुरब्बा नं0 5/23 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 ता 25 में कुल 2.0740 है0 कमाण्ड भूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय या मुन्तिकिल ना करें, ना ही दखलअन्दाजी करें, ना ही ऐसा कोई तर्क या फैल करें जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जारी होने पर अप्रार्थी सं0 2 के दिनांक 21.10.22 अर्जेट हियरिंग प्रार्थनापत्र पर पत्रावली में सुनवाई की गई और अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थी सं0 1 के नाम चक 1 एचडब्ल्युएम के मु0नं0 5/23 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 ता 25 में कुल 2.0740 है0 कमाण्ड भूमि खातेदारी शुदा दर्ज कागजात थी जिसको उसने समस्त प्रतिफल लेकर विधि अनुसार दिनांक 08.9.22 को अप्रार्थी सं0 2 सुखदेवसिंह पुत्र मीठसिंह को बेचान कर दी जिसका बैयनामा दिनांक 08.09.22 को उप–पंजीयक खाजूवाला के पु0सं0 जिल्द सं0 230, क्र.सं. 202203235101414 पर पंजीबद्ध कर तस्दीक व तकमील किया गया और उसी रोज भूमि का कब्जा खरीददार अप्रार्थी सं0 2 को सौंप दिया। तब से लेकर आजतक अप्रार्थी सं0 2 काबिज काश्त है तथा मौके पर उसके काश्तकार बैठे है। अप्रार्थी सं01 ने स्वअर्जित सम्पति का प्रतिफल लेकर विधिवत बेचान किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उसने अपने हको का हस्तान्तरण अप्रार्थी सं0 2 को कर दिया है तथा दिनांक 08.09.2022 से जैर वाद रकबा का अप्रार्थी सं0 2 खातेदार है और एक खातेदार के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है चूंकि उक्त भूमि का अप्रार्थी सं0 1 खातेदार था और उसकी स्वअर्जित सम्पति थी जिसमें उसके जीवनकाल में किसी के अधिकार उत्पन्न नहीं होते साथ ही क्रेता से बेहतर अधिकार विक्रेता को नहीं है। समस्त प्रतिफल लेकर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार उप–पंजीयक खाजूवाला में बैयनामा तस्दीक हुआ है तथा अप्रार्थी सं0 2 उक्त भूमि का खातेदार काबिज मालिक है। प्रार्थीगण ने निराधार भौतिक कहानी बनाकर प्रार्थनापत्र पेश किया है जिसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न नहीं है। प्रथमदृष्ट्या प्रकरण दुर्भिसंधि से प्रेरित लगता है। इसप्रकार नियम एवं प्रक्रिया पर प्रश्न चिह्न लगाता है। प्रार्थीगण का कहना की उक्त भूमि ही जीविकोपार्जन का साधन है। साथ ही पति तरसेमसिंह शराब का आदी है वगेरह बाते लिखी गई है जो तथ्य व विधि से बाहर है। चूंकि वादगत भूमि के अलावा भी चक 2 जीडब्ल्युएम के मु0नं0 204/30 में 19.00 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज कागजात है जिसमें ढ़ाणी बनाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। यदि अप्रार्थी सं0 1 शराबी व गैर जिम्मेदार होता तो उक्त भूमि भी बेचान करता। वादगत भूमि पारिवारिक सहमति से अपनी घरेलु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिनांक 25.07.22 को 200000/– व 28000/– रू. 02.08.22 को तथा शेष 200000/– रू. वरवक्त बैयनामा दिनांक 08.09.22 को प्राप्त किए। उक्त अवधि में प्रार्थीगण ने कोई उजर एवं ऐतराज नहीं किया। जब इं0सं0 155 दिनांक 19.09.22 को भरा गया तो उसे रुकवाने के लिए उक्त प्रार्थनापत्र पेश कर अंतरिम स्थगन एकपक्षीय ले लिया ताकि विधिक खरीददार को परेशान किया जा सके। प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन, अपूर्तिनीय क्षति साबित करने में विफल रहे हैं तथा किसी भी प्रकार से उक्त भूमि को पुश्तैनी साबित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में स्थगन प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। जिसे खारिज किया जाना आवश्यक है। जवाब प्रार्थनापत्र पेशकर अर्ज है कि जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज करने के आदेश फरमावें। न्यायालय आदेश की पालना नहीं करने पर दिनांक 07.11.22 को पत्रावली में दिनांक 23.9.22 को जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश निरस्त के आदेश किये जाकर पत्रावली में अप्रार्थी सं0 1 की तलवी करवाई गई।

बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे एवं मूलदावा के फैसले तक रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति के आदेश फरमावे। प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। वाद श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार का है दौराने वादपत्र वादगत भूमि की सुरक्षा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है यदि भूमि वादगत को आगे रहन बैय हस्तान्तरण होने से रोका नहीं गया तो वादीगण को सर्वाधिक क्षति व असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है व पुश्तैनी भूमि बेचकर खरीद की हुई है। उक्त भूमि के बैयनामा का इंतकाल हो जाता है तो वाद विवाद और ज्यादा बढेगें प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी । अप्रार्थी सं0 2 अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का वादपत्र/प्रार्थनापत्र मनगढ़त व काल्पनिक है और विधिवत हुवे बैयनामा का स्थगन की आड़ में एक खातेदार का नामान्तरण रोके रखना विधिसम्मत नहीं है। उक्त भूमि मेरी विधिवत जरिये बैयनामा खरीदशुदा है और उक्त भूमि के रिकॉर्डेड एक रिकॉर्डेड खातेदार को परेशान करने की नीयत से स्थगन किया जाना कतई उचित नहीं है और प्रार्थीगणने इतने लम्बे समय स्थगन लेकर आज तक यह साबित करने में असफल है कि उसको स्थगन नहीं होने पर क्या नुकसान है जबकि मुझ काश्तकार को स्थगन से सरकारी योजनाओं में फायदा लेने के लिये बहुत नुकसान हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहा है । अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)